



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/वित्त/2012/2149

- भोपाल-दिनांक 13/12

प्रति,

कलेक्टर सह मिशन संचालक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय-राजीव गाँधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों की पुस्तिका के अध्याय 5 लेखा के सरल क्रमांक 5.10 में चेक पर हस्ताक्षर संबंधी नियम में संशोधन बाबत।

विषयांतर्गत सर्व शिक्षा अभियान मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की 46 वीं बैठक दिनांक 15.02.2012 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गतिविधियों हेतु वित्तीय व्यय की स्वीकृति एवं चेक पर हस्ताक्षर निम्नानुसार अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं :-

1. राशि रु 250000/- (दो लाख पचास हजार रु मात्र) से अधिक के प्रत्येक व्यय के प्रकरण में (वेतन को छोड़कर) कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक की स्वीकृति आवश्यक होगी। रु 250000/- (दो लाख पचास हजार रु मात्र) से अधिक के प्रत्येक चेक पर कलेक्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ऐसे चेक पर जिला परियोजना समन्वयक अथवा जिला परियोजना संचालक में से किसी एक के हस्ताक्षर भी होंगे।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह जिला परियोजना संचालक को वेतन के एवं रु 250000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) तक के व्यय के स्वीकृति के अधिकार होंगे। ऐसे चेकों पर जिला परियोजना संचालक एवं जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
3. जिला परियोजना समन्वयक को कार्यालयीन व्यय हेतु अधिकतम रु 30000/- (रु. तीस हजार मात्र) प्रतिमाह स्वीकृति के अधिकार होंगे। ऐसे व्यय के चेकों पर जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक वित्त के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

कृपया कार्यकारिणी के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाकर बैंक के शाखा प्रबंधक को भी अवगत कराया जाए ताकि इस निर्णय के अनुरूप ही राशि आहरित हो सके।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल दिनांक 13/12

पृ० क्रमांक/राशिके/वित्त/2012/2150

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ। -
2. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक जिला परियोजना समन्वयक वित्त जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
4. <http://www.educationportal.mp.gov.in/> पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र